न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

...अधिकारी:- श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
...एस.:- 2018/00709
...नम्बर:- 230/2018

दर्ज दिनांक 27.08.2018
निर्णय दिंनाक 21-07-2023

1. करणीरमा जायन्दा पुत्र फूलाराम दत्तक पुत्र मघाराम।
1/1 विनोद पत्नी करणीराम
1/2 हितेश पुत्र करणीराम
1/3 सुमन पुत्री करणीराम
1/4 नितेश पुत्र करणीराम
समस्त जाति जाट निवासीगण बिसनपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

वादीगण

बनाम

1. राजबाला पुत्री मोहनलाल पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी गढ़लाकला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
1/1 अंकिता पुत्री राजबाला एवं प्रतापसिंह
1/2 कोमल पुत्री राजबाला एवं प्रतापसिंह
1/3 आदेश पुत्र राजबाला एवं प्रतापसिंह
1/4 प्रतापसिंह पुत्र मालाराम
समस्त जाति जाट निवासी गढ़ला तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढगौड़जी
2. सोना देवी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी बिसनपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं
3. फूलचन्द पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी बिसनपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. हरिराम पुत्र श्योकरण तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ.धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955</u>

निर्णय दिनांकः

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बजावा में वर्तमान खाता संख्या 397 की भूमि वर्तमान खसरा न. 574 रकबा 5.53 है0 स्थित है, जिसके पुराने खसरा न. 392 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा है जिसे वादपत्र में विवादित भूमि के नमा से सम्बोधित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर वादी का दादा को विवादित भूमि पर बतौर उप कृषक काबिज रहने एवं लगान अदा करने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए एवं उक्त अनुसार ही नामान्तकरण संख्या 151 भरा जाकर संख्या 2018 से 2021 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के दादा स्व. धन्नाराम पुत्र देवाराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। वादी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

...ता के देहान्त के बाद स्व. धन्नाराम की खातेदारी की उक्त विवादित भूमि धन्नाराम के ...स्थान को मिली। धन्नाराम की मृत्यु के बाद भरे गये विरासती नामान्तकरण के द्वारा केवल ...राम तथा फूलचन्द के नाम ही भरा गया उक्त नामान्तकरण में श्योकरण का नाम नहीं ... से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दावा करके उक्त खाता दुरूस्त करवाया ... जिसके अनुसार धन्नाराम की उक्त खातेदारी भूमि में वादी के दत्तक पिता को हिस्सा ...4 के खातेदारी अधिकार विरासत में मिले। मघाराम के कोई पुत्र या पुत्री सन्तान नहीं थी। ...दी के दत्तकग्रहण से पूर्व मघाराम के सहादयी परिवार में केवल एक सदस्य मघारामा ही था ...तु दत्तक लेने के बाद अर्थात् 14.01.1986 के बाद मघाराम की सहदायकी में दो सदस्य ...घाराम व मघाराम का दत्तक पुत्र करणीराम वादी) हो गये। विवादित भूमि पैतृक भूमि होने ...के कारण दत्तक ग्रहण की दिनांक 14.01.1986 को ही विवादित भूमि में मघाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/2 के हक व अधिकार वादी को मघाराम का सहदायकी होने के कारण दत्तक लेते ही प्राप्त हो गये किन्तु उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड कर्ता खानदान होने से मघाराम के नाम ही यथावत रहा। विवादित भूमि के गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी के दत्तक पिता मघाराम ने दिनांक 16.07.2012 को एक हकत्यागनामा पंजीबद्ध एवं निष्पादित करवा लिया जबकि हकत्याग के द्वारा एक खातेदार काश्तकार अपना हक तो त्याग कर सकता है किन्तु एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं त्याग सकता, इस प्रकार उक्त हकत्याग दिनांक 16.07.2012 विरुद्ध कानूनी होने से प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है जो वादी के हक एवं अधिकारों पर अप्रभावी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार एक खातेदार अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण केवल विक्रय, दान या वसीयत के द्वारा ही कर सकता है। चूंकि कृषि भूमि अधिकारों के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक विशेष विधि है जो साधारण विधि पर अधिभावी रहती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हक त्याग के जरिये अन्तरण का कोई प्रावधान नहीं है इस प्रकार उक्त हक त्याग प्रारम्भतः शून्य होने से वादी के हकों पर अप्रभावी है। अतः वाद मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी को विवादित भूमि वर्तमान खसरा न. 574 रकबा 5.5300 है0 वाके ग्राम बजावा का वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध हकत्याग विलेख दिनांक 16.07. 2012 को प्रारम्भतः होने से वादी के हकों पर अप्रभावी घोषित किया जाकर हकत्याग के आधार पर भरे गये नामान्तकरण संख्या 1399 के आधार पर प्रतिवादिया संख्या 1 के हिस्से में की गई अभिवृद्धि को पूर्ववत करने के लिए एवं घोषणानुसार रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय है। अन्य अनुतोष जो चाहे जोन से रह गये हो तथा वादी के कह में हो अ.धा. 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी को प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के मध्य राजीनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । राजीनामे में वादीगण व प्रतिवादीगण ने कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनाम को स्वीकार कर बाद तस्दीक राजीनामा दावा वादीगण डिकी किया जाकर जमीन हाल खसरा न0 574 रकबा 5.53 है0 सरहद मौजा में वादीगण को सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्से का एंव प्रतवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक को हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/8 हिस्से का एवं प्रतिवादी सख्या 1/1 1/4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना प्रार्थनीय है।

वाद पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 05.07'2023 को पेश राजीनामा के अनुसार वाद डिकी किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं दिनांक 05.07.2023 को पेश राजीनामे का अवलोकन किया गया । वादीगण व प्रतिवादीगण राजीनामा दिनांक 05.07.2023 पर सहमत अत वादीगण का वादपत्र उक्त राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बजावा तहसील गुढागौडजी के भूमि खसरा न. 574 रकबा 5.53 है0 सरहद मौजा बजावा में वादीगण को सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/8 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त राजीनाम दिनांक 05.07.2023 आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौडजी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

21/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी:– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जीसी0एम0एस:–2018/00709
मुकदमा नम्बर:– 230/2018
करणीराम आदि

दर्ज दिनांक 27.08.2018
बनाम
निर्णय दिंनाक 21-07-2023
दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा
राजबाला आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बजावा तहसील गुढागौडजी के भूमि खसरा न. 574 रकबा 5.53 है0 सरहद मौजा बजावा में वादीगण को सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/8 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त राजीनाम दिनांक 05.07.2023 आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौडजी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज..–............निल............... मुबलिक –............निल................ दाबन.–............... ....निल..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 7 सन 2023 को जारी की गई।

21/7/23
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)